संख्या-137/2021/730 /23-9-2021-10एस0सी0पी0/2019

प्रेषक,

महेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2021

विषय- अनुदान सं0-83 के अधीन एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्ग कार्य हेतु आवंटित/लैप्स धनराशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-554/8ए, दिनांक 12.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुदान संख्या-83 एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद संतकबीरनगर के 03 कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-124/2019/आ0-125(1)/23-9-2019-06एस0सी0पी0/2019, दिनांक 09.12.2019 द्वारा रू0 102.98 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में रू0 41.20 लाख की धनराशि आवंटित की गयी तथा शासनादेश संख्या-64/2020/370/23-9-2020-02एस0सी0पी0/2019, दिनांक 19.03.2020 द्वारा 9.95 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी, जिसका उपभोग किये जाने के उपरान्त अवशेष रू0 46.52 लाख की धनराशि की मांग पत्र दिनांक 19.01.2021 द्वारा की गयी थी। उक्त 03 कार्यों हेतु शासनादेश संख्या-51/2021/234/23-9-2021-10एस0सी0पी0/19, दिनांक 01.03.2021 द्वारा रू0 46.52 लाख का आवंटन निर्गत किया गया था किन्तु कतिपय कारणों से दिनांक 31.03.2021 तक उक्त धनराशि का आहरण नहीं किया जा सका। कार्य पूर्ण है, अत: दायित्वों के भुगतान हेतु पुन उक्त लैप्स धनराशि रू0 46.52 लाख के आवंटन का अनुरोध किया गया है।

क्रमश:....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अधीन पूर्व में एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत् उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत जनपद संत कबीर नगर के निम्नलिखित सूची में उल्लिखित 03 कार्य हेतु स्तम्भ-8 में उल्लिखित लैप्स धनराशि रू0 46,52,000/- (रूपये छियालिस लाख बावन हजार मात्र) को स्तम्भ-9 के अनुसार मांग की गयी धनराशि रू0 46,52,000/- (रूपये छियालिस लाख बावन हजार मात्र) को स्तम्भ-10 के अनुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत लम्बाई (कि0 मी0 में)	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटनाव्यय (प्रथम एवं द्वितीय किस्त)	लैप्स धनराशि का विवरण (तृतीय किस्त)	जिलाधिकारी द्वारा की गयी मांग	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संतकबीर नगर	जयराम पट्टी बरौली फरेनिया उसमानपुर मुरदेवा से दुबौली मार्ग।	124/2019/आ0-125(1)/23-9-2019-06एस0सी0पी0/2019, दि0 09.12.2019	0.600	38.37	19.06	17.00	17.00	17.00
2	संतकबीर नगर	मोलनापुर पिडारी मार्ग से हरैया मार्ग।	124/2019/आ0-125(1)/23-9-2019-06एस0सी0पी0/2019, दि0 09.12.2019	0.500	32.22	16.00	14.72	14.72	14.72
3	संतकबीर नगर	गजपुर मार्ग से बिसयाहन्नु हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग।	124/2019/आ0-125(1)/23-9-2019-06एस0सी0पी0/2019, दि0 09.12.2019	0.500	32.39	16.09	14.80	14.80	14.80
			कुल योग-	**1.60**	**102.98**	**51.15**	**46.52**	**46.52**	**46.52**

2- उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- प्रश्नगत मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा मार्गो का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाय।

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 28-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण, 00, 24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महेश कुमार)
विशेष सचिव

संख्या उपरोक्त तद दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ ।
5- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/संबंधित संयुक्त विकास आयुक्त ।
7- संबंधित जिला विकास अधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक ।
8- संबंधित अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद ।
9- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/8 ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10 / वित्त (लेखा) अनुभाग-2 ।
12- गार्ड फाईल / एन0आई0सी0 हेतु ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।